चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्र–2017–2018
महाविद्यालयों / स्ववित्त पोषित संस्थानों के लिए

प्रवेश नियम

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों / स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रुप से 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग, दृष्टिविहीन / कम दृष्टि (एक प्रतिशत), श्रवण ह्रास / पालन निशक्तता (एक प्रतिशत), अंग–भंग, 1 प्रतिशत) हेतु (कुल 3 प्रतिशत) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व–सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं तोउनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04–06–2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March, 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2016–17 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती है। व्यवसायिक / तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक मिश्रित अभ्यर्थियों को योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय चाहें तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (link) प्रवेश पोर्टल www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट छात्रों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों को संरक्षित करनी होगी।

PHOTOCOPY ATTESTED
PRINCIPAL
R.K.(P.G.) COLLEGE SHAMLI

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्र–2018–2019
महाविद्यालयों/स्ववित्त पोषित संस्थानों के लिए

प्रवेश नियम

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों/स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित करायेगें। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। विद्यार्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रुप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग, दृष्टिविहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता, अंग–भंग हेतु (कुल 5 प्रतिशत शासनादे I 2016 के अनुसार) स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और पूर्व–सेना कर्मियों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं तोउनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04–06–2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March, 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2016–17 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट वृद्धि की जा सकती है। व्यवसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक मिश्रित अभ्यर्थियों को योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय चाहें तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (link) प्रवेश पोर्टल www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट छात्रों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों को संरक्षित करनी होगी।

PHOTOCOPY ATTESTED
PRINCIPAL
R.K.(P.G.) COLLEGE SHAMLI

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

सत्र–2020–2021

सम्बद्ध समस्त राजकीय, अनुदानित महाविद्यालयों / स्ववित्त पोषित संस्थानों के लिए

प्रवेश नियम

प्रवेश परीक्षा / शारीरिक दक्षता परीक्षा / यू0पी0एस0ई0ई0 / एन0ई0ई0टी0 के माध्यम से प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय के पोर्टल www.ccsuniversity.ac.in पर समयबद्ध सफल पंजीकरण करना अनिवार्य है।

बिना प्रवेश परीक्षा के योग्यता सूची से प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पंजीकरण पोर्टल www.ccsuweb.in के माध्यम से ही समयबद्ध सफल पंजीकृत अभ्यर्थियों के प्रवेश किये जायेगे।

अल्पसंख्यक अभ्यर्थी सम्बन्धित महाविद्यालयों / संस्थानों में प्रवेश www.ccsuweb.in पर उपलब्ध पाठ्यक्रयों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

कोविड–19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरने से पूर्व प्रवेश पोर्टल पर उपस्थित वीडियो और **F/A Question** देखकर अपनी शंकाएं दूरकर सकता है।

कोविड–19 वैश्विक महामारी के दृष्टिगत किसी भी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र भरने में समस्या आये, तो प्रवेश पोर्टल पर दिये गये मोबाइल नं0 से वीडियो कॉल के माध्यम से सम्पर्क कर समस्या का निवारण कर सकता है।

- 10% आरक्षण EWS के लिए लागू होगी।

विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत पोर्टल पर सफल पंजीकरण के बिना कोई भी प्रवेश मान्य नहीं होगा।

1. विश्वविद्यालय द्वारा नियत निर्देशानुसार महाविद्यालयों / स्ववित्तपोषित संस्थानों में प्रवेश और शिक्षण कार्य में प्रक्रिया का पालन किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा योग्यता क्रम सूची के आधार पर बिना प्रवेश परीक्षा के किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.ccsuweb.in पर ऑनलाईन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे। महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा

PHOTOCOPY ATTESTED

PRINCIPAL
R.K.(P.G.) COLLEGE SHAMLI

सत्यापित करायेगें। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों/संस्थानों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रुप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग (दृष्टिविहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता, अंग–भंग आदि) हेतु कुल 4 प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 10 प्रतिशत आरक्षण ई0डब्ल्यू0एस0 के लिए लागू होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के पत्र दिनांक 04–06–2014 के शासनादेश संख्या 3-1/2012NER dated 7th March, 2013 के अनुसार कश्मीरी विद्यार्थियों के लिए सत्र 2019–20 में प्रवेश के समय प्रति पाठ्यक्रम 2 सीट तक व नर्सिंग महाविद्यालयों/संस्थानों में 3 सीट तक वृद्धि की जा सकती है। व्यावसायिक/तकनीकी शिक्षण संस्थानों में योग्यता सूची में कम से कम एक सीट पर आरक्षण मान्य होगा।

(ग) अल्पसंख्यक श्रेणी के महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का समयबद्ध सफल पंजीकरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिससे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रदत्त लाभ वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों को मिल सके। 50 प्रतिशत तक अल्पसंख्यक श्रेणी के अभ्यर्थी ऑनलाइन योग्यतानुक्रमानुसार चयनित कर प्राथमिकता के आधार पर प्रविष्ट किये जा सकते हैं, किन्तु शेष 50 प्रतिशत तक योग्यतानुक्रमानुसार व आरक्षण नियमानुसार पंजीकृत अन्य अभ्यर्थियों को समयबद्ध प्रवेश दिया जा सकता है। प्रवेश की सम्पूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन ही पूर्ण की जायेगी। यदि चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध अल्पसंख्यक वर्ग के महाविद्यालय/संस्थान चाहें, तो पूर्व सूचना देकर समस्त सम्बद्ध अल्पसंख्यक महाविद्यालयों/संस्थानों के लिए एक पोर्टल पर उक्त प्रवेश कर उसका लिंक (link) प्रवेश पोर्टल www.ccsuweb.in के साथ जोड़ सकते हैं। समस्त प्रविष्ट अभ्यर्थियों की सम्पुष्टि रिपोर्ट संदर्भ हेतु महाविद्यालयों/संस्थानों को संरक्षित करनी होगी।

(घ)(i) प्रवेश परीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को www.ccsuweb.in पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉगइन आईडी (पंजीकरण संख्या) प्राप्त करनी होगी। जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होती है इस हेतु हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के विवरण फोटो, निवास का पता, स्वयं का मोबईल नम्बर, स्वयं का ई–मेल, होना आवश्यक है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र में मांगे गये भारांक, शैक्षिक विवरण तथा वांछित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय/संस्थान की वरीयता देना आवश्यक होगा। अन्त में आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्पूर्ण आवेदन पत्र का भली–भाँति अवलोकन कर ऑन लाईन सम्मिट करना आवश्यक होगा। पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अभ्यर्थी के दिये गये मोबाइल नं0 पर प्रेषित की जाती है। अपनी पंजीकरण संख्या व पासवर्ड को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करे। आवेदन पत्र को प्रिन्ट करके अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि शेष तो नहीं है, अन्यथा समयानुसार संशोधन नहीं करने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। किसी अन्य के द्वारा आन लाईन आवेदन पत्र भरवाने के कारण हुई त्रुटियों को समयानुसार पोर्टल पर संशोधन का विकल्प विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने देने पर अभ्यर्थी द्वारा शुद्ध कर लेना आवश्यक होगा। प्रवेश के समय संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।

PHOTOCOPY ATTESTED
PRINCIPAL
R.K.(P.G.) COLLEGE SHAMLI